# कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

**क्रमांकःशिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1ए/6डी/सेटअप परिवर्तन/2021** **दिनांक–यथा हस्ताक्षर**

संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा, **समस्त सम्भाग।**

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा **(समस्त जिले)।**

**विषयः–** महात्मा गांधी विद्यालयों में चयनित कार्मिकों के पदस्थापन के कारण अधिशेष हुवे कार्मिकों के समायोजन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विशेष चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित कार्मिकों के पदस्थापन आदेश जिला/संभाग/राज्य स्तर पर पदीय स्वरानुरूप दिनांक 30.06.2025 एवं 11.07.2025 को जारी किये गये थे। इन आदेशों की पालना में चयनित कार्मिकों के कार्यग्रहण कर लेने के कारण इन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत अचयनित कार्मिक जो अधिशेष हो गये है, उनके समायोजन हेतु इस कार्यालय के समसंख्यक दिशा–निर्देश दिनांक 14.11.2024 एवं 06.12.2024 के अनुसरण में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

i. **सामान्य निर्देश** :–

1. माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन उसी स्पष्ट रिक्त पद/विषय पर, उनके मूल पद के अनुसार ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में किया जावे। अन्य पद/अन्य विषय के विरूद्ध पदस्थापन कतई नहीं किया जाए।
2. माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों (लेवल–1 व लेवल–2) को अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में लगाया जावे। यदि जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में पद रिक्त नहीं हो तो ही उन्हें प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में लगाया जाए।
3. जिले में अध्यापक लेवल–2 (सामाजिक विज्ञान/हिन्दी/तृतीय भाषा) के पद रिक्त नहीं होने पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में शासन के परिपत्र क्रमांक प.5(8)प्राशि/2016 दिनांक 28.05.2019 के अनुसार अध्यापक लेवल–1 माना जाकर समायोजित किया जाये। इसके उपरान्त भी यदि माध्यमिक शिक्षा में अध्यापक लेवल–2 (सामाजिक विज्ञान/हिन्दी/तृतीय भाषा) के कार्मिक अधिशेष रहते है तो अधिशेष कार्मिकों को प्रारंभिक शिक्षा विभाग को समायोजन हेतु सुपुर्द किया जाये।
4. जिन अध्यापकों (लेवल–1 अथवा लेवल–2) के सम्बन्ध में राजस्थान शिक्षा सेवा (राज्य एवं अधीनस्थ) नियम, 2021 के नियम 6(3) के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्यवाही नहीं की गई है, उन्हें विभाग में पद शेष नहीं होने की स्थिति में ही अधिशेष मानते हुए पंचायतीराज पदों पर लगाया जावे।
5. माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजन नहीं हो सकने वाले अधिशेष कार्मिक **यथाः** वरिष्ठ प्रबोधक, प्रबोधक, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैराटीचर, ट्रेनी टीचर इत्यादि को प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में ही पदस्थापित किया जाये।
6. अनुसूचित क्षेत्र के अराजपत्रित शिक्षकों/कार्मिकों को नियमानुसार आवश्यक रूप से केवल अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों में व गैर अनुसूचित क्षेत्र के अराजपत्रित शिक्षकों/कार्मिकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों में ही लगाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.07.16 18:57:50 IST
Reason: Approved

**7.** राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम–2010 के तहत नियुक्त शिक्षकों/कार्मिकों को केवल ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में ही लगाया जा सकेगा।

**8.** न्यायिक प्रकरणों में स्थगन से संबंधित शिक्षकों/कार्मिकों के पदस्थापन के संबंध में प्रकरण पूर्ण विवरण के साथ निदेशालय को मार्गदर्शन हेतु भिजवाया जाये।

**9.** विद्यालय में कार्मिकों की कार्यग्रहण तिथि के आधार पर वरिष्ठ कार्मिक का समायोजन उसी विद्यालय में करते हुए कनिष्ठ कार्मिक को विद्यालय में अधिशेष माना जाएगा। इसी प्रकार ग्राम/पंचायत/ब्लॉक में अधिशेष कार्मिकों को चिहिन्त किया जाकर समायोजन किया जायेगा।

**10.** अधिशेष शिक्षकों/कार्मिकों का समायोजन रिक्तियों के निम्नांकित क्रम में किया जावे :–

- **i.** उसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त होने पर
- **ii.** उसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त नहीं होने पर, उसी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में पद रिक्त होने पर
- **iii.** ग्राम पंचायत में पद रिक्त नहीं होने पर, उसी ब्लॉक में स्थित अन्य विद्यालय में रिक्त पद पर
- **iv.** सम्बन्धित ब्लॉक में पद रिक्त नहीं होने पर जिले के अन्य ब्लॉक के विद्यालय में रिक्त पद पर। यथासम्भव निकट के ब्लॉक के विद्यालय में।

**11.** शहरी क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन शहरी क्षेत्र में तथा ग्रामीण क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन ग्रामीण क्षेत्र में ही किया जायेगा।

**12.** यदि अधिशेष कार्मिकों के समायोजन हेतु ग्रामीण क्षेत्र में एक भी पद रिक्त नहीं रहता है तो ग्रामीण क्षेत्र के कार्मिक को ग्रामीण क्षेत्र में पद रिक्त होने तक अस्थाई रूप से शहरी क्षेत्र में भी आवश्यकता अनुसार लगाया जा सकता है।इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में भी एक भी पद रिक्त नहीं होने के स्थिति में, शहरी क्षेत्र के कार्मिक को ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यकतानुसार लगाया जा सकता है।

**13.** ऐसे अधिशेष कार्मिक जिनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2025 है, उनको वर्तमान विद्यालय में कार्यरत रखते हुए नवीन कार्यग्रहण करने वाले कार्मिक को ऑफलाईन कार्यग्रहण करवाने एवं पूर्व से कार्यरत अधिशेष हुए कार्मिक का जुलाई माह का वेतन वर्तमान विद्यालय से आहरित करते हुए नवीन कार्मिक का वेतन पूर्व पदस्थापन स्थान से आहरित किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक का पेंशन प्रकरण समय पर भिजवाया जा सके। ऐसे सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक के सेवानिवृत्ति के उपरान्त 01.08.2025 को नवीन पदस्थापित कार्मिक को ऑनलाईन कार्यग्रहण करवाना सुनिश्चित करावें।

**14.** विशेष चयन प्रक्रिया से पदस्थापन किये जाने वाले संस्थान जैसे आईएएसई/डाईट/आरएससीईआरटी/कार्यालय आदि में रिक्त पद होने पर भी कार्मिकों का समायोजन नहीं किया जाये।

**15.** पदस्थापन आदेशों के संबंध में समायोजित कार्मिक समायोजन के संबंध में अपनी परिवेदना कार्यग्रहण किये जाने के उपरान्त ही परिवदेना समिति को प्रस्तुत कर सकेंगें।

ii. **<u>अधिशेष कार्मिकों के समायोजन की प्रक्रिया एवं समय–सारणी निम्नानुसार रहेगी</u> :–**

| क्र.सं. | समायोजन प्रक्रिया का विवरण | निर्धारित तिथि |
|---|---|---|
| 1 | अधिशेष कार्मिकों की पदवार सूची को अंतिम रूप देना। | [illegible] तक |
| 2 | अधिशेष कार्मिकों में से समायोजन योग्य कार्मिकों की सामान्य निर्देश के बिन्दु–10 के अनुसार सम्भावित पदस्थापन स्थान सहित सू[illegible] | 18.[illegible].2025 तक |
| 3 | माध्यमिक शिक्षा विभाग में क्रम संख्या–02 की कार्यवाही के [illegible] शेष अधिशेष कार्मिकों की सूची प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को सुपुर्द करना। | [illegible].07.2025 तक |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.07.16 18:57:50 IST
Reason: Approved

| | | |
|---|---|---|
| **4** | प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा सामान्य निर्देश के बिन्दु–10 के अनुसार सम्भावित पदस्थापन स्थान सहित सूची तैयार करना। | 21.07.2025 तक |
| **5** | प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थापन आदेश जारी करना। | 22.07.2025 तक |
| **6** | नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण की तिथि | 24.07.2025 तक |
| **7** | परिवेदना प्रस्तुत करने की तिथि (कार्यग्रहण करने के उपरान्त ही स्वीकार्य) | 28.07.2025 तक |
| **8** | प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण एवं समुचित आदेश जारी करने की तिथि | 30.07.2025 तक |

**अधिशेष कार्मिकों की सूची पूर्व में आप द्वारा निदेशालय को प्रेषित की गयी है, जिसका संख्यावार विवरण संलग्न परिशिष्ट–1 में दिया गया है। यदि आप द्वारा प्रेषित उक्त सूची में अंकित कार्मिकों के अलावा महात्मा गांधी विद्यालयों में चयनित कार्मिक के कार्यग्रहण करने के कारण हुवे किसी अधिशेष कार्मिक का समायोजन किया जाना है तो उसका प्रकरण तत्काल निदेशालय को पूर्ण औचित्य के साथ भिजवाया जाये।**

**संलग्नः–**उपर्युक्तानुसार।

**निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा एवं**
**पं. राज (प्रा.शि.) विभाग,**
**राजस्थान, बीकानेर**

**(सीताराम जाट)**
**आई.ए.एस.**
**निदेशक माध्यमिक शिक्षा**
**राजस्थान बीकानेर एवं पदेन**
**अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ),समसा**

**प्रतिलिपि** निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

**1-** विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
**2-** शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
**3-** राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
**4-** संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
**5-** शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
**6-** शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
**7-** अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर।
**8-** संयुक्त निदेशक (कार्मिक) / उप निदेशक (माध्यमिक) कार्यालय हाजा।
**9-** वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी), शिक्षा संकुल, जयपुर।
**10-** समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा।
**11-** समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
**12-** समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा।
**13-** सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
**14-** उप निदेशक (शाला दर्पण प्रकोष्ठ), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
**15-** सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
**16-** सहायक निदेशक, एबी / सी / महात्मा गांधी अनुभाग, कार्यालय हाजा।
**17-** रक्षित पत्रावली।

**निदेशक माध्यमिक शिक्षा**
**राजस्थान बीकानेर एवं पदेन**
**अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ),समसा**

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.07.16 18:57:50 IST
Reason: Approved